227

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर म.प्र.

राजस्व रिवीजन क्रमांक:-

ता. पेशी

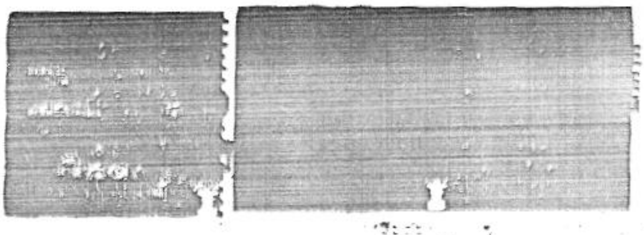

Cf 20/-

I/निगरानी/दमोह/भू.रा/2018/0991

B-O-R
13 DEC 2018

श्रीमति प्रभा बाई चौरसिया पत्नि स्व.केदार नाथ चौरसिया
साकिन पुरैना वार्ड पीली अटारी के पास दमोह तह. व जिला दमोह

---- रिवीजनकर्ता

बनाम

240
22/10/17

रूप नारायण चौरसिया पिता भोलेनाथ चौरसिया
साकिन असाटी वार्ड नं. 1 दमोह तह. व जिला दमोह म.प्र.

---- उत्तरवादी

श्री देवेन्द्र कुमार जैन, अभि. सागर द्वारा प्रस्तुत.
(हस्ताक्षर) कार्यालय कलेक्टर, सागर, सागर (म.प्र.)

दावा:- रिवीजन आवेदन अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

महोदय,

राजस्व प्रकरण क्र. 63अ/12/वर्ष2016-2017 रूप नारायण चौरसिया विरूद्ध शासन में अभिप्रमाणित सीमांकन दिनांक 08.02.2017 से क्षुब्ध एवं पीड़ित होकर उद्भूत

आवेदक प्र रिवीजनकर्ता प्रार्थना करतीहै :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी/आवेदक का प्रकरण इस प्रकार से था कि " आवेदक की शामिल भूमि मौजा दमोह खास प.ह.नं.16 रा.नि. मं.दमोह2 खसरा नंबर 1328 रकबा 0.048 है. स्थित है जो राजस्व अभिलेख में इंद्राज है उक्त जमीन की हदबंदी सही नहीं हैं इस कारण से आवेदक/उत्तरवादी अपनी भूमि का सीमांकन कराना चाहता है उत्तरवादी के द्वारा उक्त प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक महोदय दमोह 2 के द्वारा एक राजस्व प्रकरण क्र.

निगरानी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/0991

श्रीमती प्रभा बाई चौरसिया विरूद्ध रूप नारायण चौरसिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल, जिला– दमोह के प्रकरण क्रमांक 6/अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 08–02–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जांये। (आर.के. जैन) सदस्य 07/3/19	